संख्या-28/2026/192/59-2-2026/001-1810115

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 21 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पंत्राक-108-13/खा.ग्रा.बो./मु.मं.ग्रा.रो.यो./पत्रा.सं.-21-291/2026-27, दिनांक 09.04.2026 द्वारा प्रेषित कार्ययोजना अनुमोदित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत नई/स्थापित इकाईयों की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्ते/ प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र खादी बोर्ड द्वारा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) योजना में आवंटित धनराशि के आहरण/वितरण अधिकारी सम्बन्धित जिलों के मुख्य विकास अधिकारी होंगे तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29.05.2012 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार धनराशि का भुगतान नगद व चेक के माध्यम से न करके सीधे लाभार्थी के खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) जिला ग्रामोद्योग अधिकारी इस सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लेंगे कि ब्याज सब्सिडी की धनराशि सिर्फ उन्ही उद्यमियों को स्वीकृत ऋण के सापेक्ष देय होगी जो योजना की पात्रता की शर्ते पूरी तरह से पूर्ण करते हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का होगा। यदि यह पाया जाता है कि किसी अपात्र उद्यमी को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का होगा।

(7) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना की गाईडलाइन्स के सर्कुलर संख्या-PMEGP/policy/2020-21, दिनांक 04.05.2020 एवं 06.05.2020 के अनुसार ही जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी (डी.एल.टी.एफ.सी.) द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया को समाप्त करके ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित स्कोर कार्ड के अनुसार स्क्रुटनी करते हुए स्कोर कार्ड में पूर्णांक 100 में से 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के पोर्टल के माध्यम से जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा ही बैंकों को अग्रसारित करना सुनिश्चित किया जाय।

(8) जनपद स्तर पर योजना की समीक्षा/अनुश्रवण पूर्व में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी (डी.एल.टी.एफ.सी.) द्वारा ही किया जायेगा तथा प्रगति की समीक्षा रिपोर्ट जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा प्रत्येक त्रैमास में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

(9) उ0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार नवयुवकों, परम्परागत कारीगरों एवं शिल्पियों को अधिकतम रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) कीव्यक्तिगत/साझेदारी इकाईयों को राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैकों (प्राइवेट बैकों को छोड़कर) से वित्त पोषित कराया जायेगा। आई0टी0आई0, पालीटेक्निक संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों को योजना में प्राथमिकता दी जायेगी।

(10) वित्तीय वर्ष 2021-22 से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत सभी लाभार्थियों को टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर ही 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष घटाते हुए 5 वर्ष तक ही ब्याज उपादान का भुगतान किया जाय।

(11) आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, के पुरूष व महिलाओं) को योजना के अन्तर्गत देय ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप में राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन की जायेगी।

(12) कुल स्वीकृत धनराशि का 1-1-1 प्रतिशत क्रमश:- जागरूकता शिविर, प्रचार प्रसार, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए प्राविधानित होगा जिसका उपयोग सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/प्रबन्धक ग्रामोद्योग द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार किया जायेगा।

(13) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नाबार्ड से अनुमोदित प्रोजेक्ट तैयार कराकर नियमानुसार खादी बोर्ड द्वारा उद्यमियों का चयन करने के उपरान्त राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैकों से ऋण स्वीकृत कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(14) राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत कराने के उपरान्त इकाईयों के सफलतापूर्वक कार्य करने एवं उसके सदुपयोग करने के उपरान्त ही ब्याज कीधनराशि अनुमन्य होगी, जिसका भुगतान सीधे उद्यमियों के बैंक खाते में सम्बन्धित बैंक की मांग के अनुसार किया जायेगा।

(15) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा।

(16) सम्बन्धित उद्यमियों द्वारा कार्य बन्द करने एवं धन का दुरूपयोग करते पाये जाने पर व्याज उपादान की धनराशि का भुगतान रोक दिया जायेगा तथा जो धनराशि भुगतान की जा चुकी है, उसकी वसूली बैंक द्वारा तत्काल उद्यमियों से नियमानुसार कर ली जायेगी।

(17) योजना का प्रचार-प्रसार प्रादेशिक समाचारों के साथ रेडियों/दूरदर्शन से मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा नियमित रूप से कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(19) उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पंत्राक-108-13/खा.ग्रा.बो./मु.मं.ग्रा.रो.यो./पत्रा.सं.-21-291/2026-27, दिनांक 09.04.2026 में संलग्न की गयी कार्ययोजना के अनुसार ही उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 30,00,000 (रूपये तीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-**083 **लेखा शीर्षक** 2851007890601 बेराजगार नवयुवकों/परम्परागत कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनुदान **मानक मद**-27-सब्सिडी' के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-28/2026/192/59-2-2026/001-1810115 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।

4- निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

5- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, जो योजनान्र्गत आहरण एवं वितरण अधिकारी होगें।

6- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

8-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-4/ औद्योगिक विकास अनुभाग-2

9- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा परीक्षा विभाग उ0प्र0, प्रयागराज।

10-वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

11-बजट प्रकोष्ठ/ कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

12-एन0आई0सी0/ गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।